

उपस्थित ह/अनु  
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर ह/अन्य  
कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...28...3...17  
को पेश हो।

रीडर

28.3.17

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में बार-बार  
आवाज लगवाई गई किन्तु वादीगण अक्षयलतन  
या अक्षयलतन उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण  
अदम दायरी व अदम पैवी में खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली फेसलशुमार दोहरा नंबर से कम  
हो एवं बाद तकमील जमा जिला कमिटी खसरा  
हो।